न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 158 / 2020

अनवान : –

1. राजेश कुमार पुत्र लीलाधर जाति रेगर निवासी जोगीआसन तहसील नोहर।
2. राकेश कुमार पुत्र लीलाधर जाति रेगर निवासी जोगीआसन तहसील नोहर।
3. पवन कुमार पुत्र लीलाधर जाति रेगर निवासी जोगीआसन तहसील नोहर।

– सायलान

बनाम्

1. लीलाधर पुत्र चन्दरूराम जाति रेगर निवासी जोगीआसन नोहर तहसील नोहर।
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।
3. उप पंजीयक कार्यालय नोहर तहसील नोहर।

– गैरसायालान

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट.

उपस्थिति :– श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता **सायलान**
श्री रविन्द्र गोदारा अधिवक्ता **गैरसायलान**

निर्णय दिनांकः 12/4/20

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया कि रोही मौजा ढाणी चारणान तहसील नोहर के खाता स0 59 / 37 के ख0न0 35 की 4.6920है0, ख0न0 41 की 2.3650है, ख0न0 44 की 4.7110है0, कुल 11.7740है0 भूमि के सायलान के दादा चन्दरूराम खातेदार काश्तकार थे। सायलान के दारा चन्दरूराम की फौतदगी के बाद उक्त वाद भूमि उनके पांचों पुत्रगणों के नाम बहिब औद हुई एवं गैरसायलान स0 1 के हिस्से में रोही मौजा ढाणी चारणान तहसील नोहर के खाता स0 59 / 37 की कुल 11.7740है0 भूमि में संयुक्त रूप से 1 / 5 हिस्सा दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उपरोक्त कृषि भूमि गैरसायल स0 1 के नाम बतौर कर्ता हिन्दु खान दान दर्ज है एवं गैरसायल स0 1 के नाम दर्ज कृषि भूमि पैतृक कृषि भूमि है जिसमें सायलान का जन्म से हक हिस्सा है है यानि बाई बर्थ राईट है। इसलिए सायलान व दावा में दर्ज प्रतिवादीगण स0 2 ता 3 गैरसायल स0 1 के साथ बहिब खातेदार काश्तकार है। इसी अनुसार सायलान अपना हक हिस्सा प्राप्त करने का अधिकारी है।

दावा में दर्ज प्रतिवादीयान स0 2 ता 3 जो कि सालयान की बहिन है एवं गैरसायल स0 1 की पुत्री है वादग्रस्त भूमि में काई हक हिस्सा नही लेना चाहती है अपना जो भी हक हिस्सा है वह सायलान व गैरसायलान स0 1 के पक्ष मे परित्याग कर चुकी है। बाद हक त्याग उक्त वाद भूमि सायलान व गैरसायलान स0 1 के बहिब हक हिस्सा की भूमि है इसी अनुसार सायलान न्यायालय से घोषणा करवाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज कराने के अधिकारी है।

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:05:11 IST
Reason: SelfAttested

गैरसायल स0 1 अपने नाम अकेले के कर्ता खानदान दर्ज रहने से उक्त भूमि अन्यत्र रहन बैय करने पर आमाद है यदि गैरसायल स0 1 अपने मकसद में सफल हो जाता है तो सायलान को अपूर्णीय क्षति कारित होती है तथा उन्हे ना पूरा होने वाला नुकसान होता है।

अतः प्रार्थना पत्र मय हल्फनामा सायलान पेश कर निवेदन है कि ताफैसला दावा गैरसायल स0 1 के खिलाफ इस अमर की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी फरमावें की वादग्रस्त भूमि रोही मौजा ढाणी चारणान तहसील नोहर के खाता स0 59/37 की कुल 11.7740है0 भूमि में गैरसायल स0 1 के नाम दर्ज 1/5 हिस्सा भूमि को गैरसायल स0 1 रहन, बैय व मुन्तकिल करने से निषिद्ध रहें एवं मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। रोही मौजाा ढाणी चारणान तहसील नोहर के खाता स0 59/37 की कुल 11.7740है0 में से गैरसायल स0 1 के नाम दर्ज 1/5 हिस्सा कृषि भूमि में अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध अप्रार्थी स0 1 इस आशय की जारी की गई की अप्रार्थी स0 1 उक्त वाद भूमि के रिकार्ड की यथास्थिति बनाए रखे।

अप्रार्थी स0 1 की ओर से अधिवक्ता श्री रविन्द्र कुमार गोदारा ने वकालतनामा पेश किया। अप्रार्थी स0 1 की ओर से जरिये अधिवक्ता जवाब प्रार्थना पेश हुआ। प्रार्थना पत्र की मद स0 1 ता 4 को स्वीकार एवं 5 ता 7 को अस्वीकार करते हुए जवाब प्रार्थना पत्र मे अंकित किया की प्रार्थना पत्र उत्तरदाता को तंग एवं परेशान करने के लिए पेश किया गया है व उत्तरदाता अपनी कृषि भूमि व उसकी आय से अपना गुजारा करता है जिसमें उत्तरदाता को अपूर्णीय क्षति होगी। अतः जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर अर्ज है कि सायल का प्रार्थना पत्र खारिज फरमावें।

बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई। हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र, जमाबंदी का अवलोकन किया।

हम प्रकरण को अस्थाई निषेधाज्ञा के आवश्यक एवं सारभूत निम्नलिखित तीन बिन्दुओं के विवेचन के आधार पर प्रकरण को निर्णित करना आवश्यक समझते है:—

1. प्रथम दृष्टया मामला :— प्रथम दृष्टया मामला से तात्पर्य है कि वाद पत्र और उसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन मात्र से विश्वास करने का प्रर्याप्त कारण हो कि वादग्रस्त अराजी में वादी को अनुतोष प्राप्त करने का पर्याप्त आधार प्राप्त है तथा प्रार्थी को प्रथम दृष्टया अराजी के उपयोग का अधिकार प्राप्त हों, इस का अर्थ यह नही है कि मामला पूर्णतया सिद्ध कर दिया जावें क्योंकि यह साक्ष्य का विषय है।

उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि में पूर्व में प्रार्थीगण के पूर्वजों चन्दरू पुत्र लालू के नाम दर्ज रही है और चन्दरू की फौतदगी के बाद प्रार्थीगण के पिता के नाम दर्ज हुई जो की वर्तमान में भी प्रार्थीगण के पिता के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है अर्थात विवाद एक ही परिवार के सदस्यों के मध्य है। अप्रार्थीगण ने अपने जवाब प्रार्थना में प्रार्थना पत्र की मद संख्या 1 ता 4 को स्वीकार किया [illegible] 5 [illegible] अस्वीकार किया जबकि वादग्रस्त भूमि पैतृक है। हस्तगत प्रकरण में वाद पत्र अन्तर्गत [illegible] 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय में विचाराधीन है, वादग्रस्त भूमि का [illegible]क, मौरूसी एवं स्वअर्जित सम्पति होना और पक्षकारों का वादग्रस्त भूमि में हक निर्धारण हो[illegible]शेष है जो मूल वाद में साक्ष्य उपरान्त ही निर्धारित हो सकेगा और स्पष्टतः विवाद एक ही परिवार के सदस्यों के मध्य है और जहां विवाद

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:05:11 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

एक ही परिवार के सदस्यों के मध्य हो वहां रिकार्डेड खातेदार को भी निषिद्ध किया जा सकता है ताकि भविष्य में वाद बाहुल्यता को रोका जा सकें। अतः न्यायालय के विनम्र अभिमत में प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में साबित होता है।

2. सुविधा का सन्तुलन– सुविधा के सन्तुलन से तात्पर्य है कि यदि अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नही की जाती है तो अधिकतम असुविधा प्रार्थी को होगी या अप्रार्थी को। प्रार्थना पत्र के अवलोकन से स्पष्ट है कि अप्रार्थी स0 1 विवादित अराजी का काश्तकार है परन्तु पैतृक भूमि होने के कारण प्रार्थीगण का भी वादग्रस्त भूमि में जन्मजात हक व हिस्सा है।। प्रार्थीगण का अप्रार्थी0 1 के विरूद्ध दावा अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश किया हुआ है। प्रथम दृष्टया मामला भी प्रार्थीगण के पक्ष में सिद्ध होता है। ऐसी स्थित में न्यायालय के अभिमत में यदि अराजी को रहन बैय की जाती है तो प्रार्थीगण को असुविधा होगी क्योंकि प्रार्थीगण का भी उक्त पैतृक भूमि में हक व हिस्सा है। अतः सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में साबित होता है।

3. अपूर्णीय क्षति– अपूर्णीय क्षति से तात्पर्य एक तात्विक क्षति से है जिसकी पूर्ति नुकसानी के रूप में नही की जा सकती। चूंकि न्यायालय हाजा में प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी का राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत वाद विचाराधीन है। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन प्रार्थीगण के पक्ष में साबित होता है अतः अपूर्णीय क्षति भी प्रार्थीगण को होगी न की अप्रार्थी को।

अतः न्यायालय का विनम्र मत है कि प्रार्थीगण के पक्ष में तीनों बिन्दु प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन, अपूर्णीय क्षति साबित होने के कारण प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट स्वीकार किया जाना विधिसंगत समझते है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के अवलोकन में प्रार्थना पत्र 212 आरटीएक्ट बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा साबित होने के कारण स्वीकार किया जाता है। अस्थाई निषेधाज्ञा बहक प्रार्थी विरूद्ध अप्रार्थी स0 1 इस आशय का कन्फर्म किया जाता है कि रोही मौजा ढाणी चारणान तहसील नोहर के खाता स0 59/37 की कुल 11.7740है0 भूमि में संयुक्त रूप से 1/5 हिस्सा भूमि अप्रार्थी स0 1 लिलाधर पुत्र चन्दरूराम के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, उक्त भूमि में प्रार्थीगण के हक व हिस्से की हद तक न्यायालय हाजा में विचाराधीन वाद का निस्तारण होने तक वादग्रस्त भूमि को रहन, बैय अथवा मुन्तकिल करने से निषेद्य रहें। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाता है। पत्रावली इस कदर निर्णय शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

यह निर्णय आज दिनांक 21/12/23 मेरे द्वारा लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:05:11 IST
Reason: SelfAttested